



डिक्री व मुकद्दमें इबतदाई  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोनभद्रा जिला उदयपुर

न्यायाधीश श्री सत्यनारायण आचार्य (RAS) कोटड़ा सीगह

सं. 1/13 बनाम रमेश, पोपट, बाबू, नरेश  
जेटा पिता फागणा  
फागणा पिता कपूर तराल

दावा बाबत 188 92 - RTA के समक्ष प्रस्तुत हुआ।  
श्री सत्यनारायण आचार्य

मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री प्रतिवादी की ओर से वकील  
की ओर से वकील श्री मोना नीवला

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मोना नीवला  
पट्टाट शंका गुला तामील कोटड़ा की गवाहगी लेवत 2066 से  
2069 के खाता संख्या 40 में वणित करानियात किता 19 कुल  
रकबा 7.05 बीघा रक में वारी के शांतिपुर्ण, इषि कार्य में  
किली प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने रक में उपवेश वही  
करने उव वारी की देख्य वही करने बाबत प्रतिवादीगण को  
स्थावी निवेद्याला से जाबतद किवा जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि आज की तारीख  
से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित  
द्वारा को दी जाये। मार सन् को

यह आज तारीख मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।  
(उसके हस्त आचार्य)  
हस्ताक्षर न्यायाधीश उपखण्ड अधिकारी  
पद कोटड़ा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालात नामा		
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प			प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		
महनताना वकील ) पर			महनताना वकील ) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशित की तामील			आदेशित की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग					

(उसके हस्त आचार्य)  
हस्ताक्षर न्यायाधीश